<u>**प्रेस नोट दिनांक 13.11.2024**</u>
<u>**थाना आंवला जनपद**</u>

<u>**थाना आंवला #bareillypolice द्वारा 02 हत्यारोपी को मय 02 अदद बैग (जिसमें घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहने कपड़े जिन पर रक्त लगा है) सहित गिरफ्तार किया गया-**</u>

<u>**घटना का संक्षिप्त विवरणः-**</u> दिनांक 10.11.2024 को वादी श्री शफीक अहमद पुत्र रशीद अहमद निवासी ग्राम मनौना थाना आंवला जिला बरेली ने सूचना दी कि अभियुक्त ताजिम पुत्र डब्लू निवासी मनौना थाना आंवला, बरेली ने अपने अज्ञात साथियो के साथ मिलकर मेरे भाई शरीफ अहमद पुत्र रशीद अहमद उम्र 22 वर्ष की हत्या कर कर दी है। जिसके आधार पर थाना आंवला पर मु0अ0सं0 643/2024 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 1. ताजिम पुत्र डब्लू निवासी मनौना थाना आंवला बरेली व अज्ञात साथियो के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान नवी हसन पुत्र मौ0 नवी निवासी ग्राम मनौना थाना आवला जिला बरेली उम्र 40 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

थाना आंवला, बरेली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12/13.11.2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान मनौना बाईपास पर खंडर से अभियुक्त 1.ताजिम पुत्र डब्लू निवासी मनौना थाना आंवला बरेली 2. नवी हसन पुत्र मौ0 नवी निवासी ग्राम मनौना थाना आवला जिला बरेली को 02 अदद बैग (जिसमें घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहने कपड़े जिन पर रक्त लगा है) सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश जा रहा है।

पूछताछ विवरण—अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि अभियुक्त ताजिम व अभियुक्त नवी हसन व शरीफ अहमद तीनों दोस्त है, जो नशा करने के आदी है, दिनाक 09.11.2024 को अभियुक्त ताजिम व अभियुक्त नवी अपने साथी शरीफ अहमद पुत्र रसीद अहमद नि0 ग्राम मनौना थाना आवंला जिला बरेली के साथ नशा करने के लिये हाजी खालिद मास्ट्रर के बाग मे गये थे, रात्रि मे करीब 10 से 11 बजे के बीच तीनों लोगों ने सुलपा पिया जब नशा नही हुआ तो तीनो लोगो ने नशे का इन्जेक्सन लगाया। जिससे तीनों लोगों को नशा हो गया। शरीफ अहमद, अभियुक्त ताजिम व नवी हसन ने अपने उधार दिये हुए पैसे मांगने लगा और इससे पहले भी कई बार मांग चुका था। शरीफ अहमद ने ताजिम से कहा कि यदि आज पैसा नही दिया तो अन्जाम बुरा होगा, अभियुक्त ताजिम व नवी हसन पहले से शरीफ अहमद को मारने की योजना बनाये थे। ताजिम व नवी हसन ने सोची समझी साजिस के तहत शरीफ अहमद को जान से मारने की नियत से खालिद मास्ट्रर के बाग में वाउड्री के आड़ में ले गये जहाँ पर पास में पडे सीमेन्ट के पिलर से व नवी अहमद ने ईट से ताजिम अहमद सिर में व शरीर के अन्य जगहों पर मारा जिससे शरीफ अहमद के सिर से काफी खून निकलने लगा, उक्त दोनों लोग शरीफ अहमद को मरा समझ कर पिलर को ईट व पिलर का टुकडा मौके पर छोडकर भाग गये थे। मारते समय उक्त लोगो के कपडो पर शरीफ अहमद के खून के छीटे पडे थे, इन दोनों ने डर की वजह से अपने पहने हुए कपडो को पानी से धुल दिये थे। घटना के समय पहने हुए कपडो को यह दोनों बैग मे रखकर दिल्ली जाने की फिराक मे सवारी का इन्तजार कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. ताजिम पुत्र अखलाख हुसैन उर्फ डब्लयू मास्ट्रर निवासी ग्राम मनौना थाना आवंला जिला बरेली।
2. नवी हसन पुत्र मौ0 नवी निवासी ग्राम मनौना थाना आवला जिला बरेली।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक -

स्थान- मनौना बाईपास पर खंडर से , दिनांक 12/13.11.2024 का रात्रि

बरामदगी का विवरणः-

02 अदद बैग (जिसमें घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहने कपड़े जिन पर रक्त लगा है)

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कुंवर बहादुर सिंह थाना आंवला जिला बरेली।
2. उ0नि0 श्री दुष्यन्त गोस्वामी थाना आंवला जिला बरेली।
3. उ0नि0 श्री नितेश शर्मा थाना आंवला जिला बरेली।
4. का0 2144 विवेक राणा थाना आंवला जिला बरेली।
5. का0 1315 प्रमोद कुमार थाना आंवला जिला बरेली।
6. का0 2886 कुलदीप कुमार थाना आंवला जिला बरेली।